

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1493]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/आषाढ़ 26, 1936

No. 1493]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

का.आ. 1856(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 20 जुलाई, 2009 की असाधारण अधिसूचना संख्या का.आ. 1769(अ), जो भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) में 20 जुलाई, 2009 को प्रकाशित हुई थी, में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में आरंभिक पैरा के पश्चात पैरा 1 में 'जिसका प्रधान कार्यालय "नांदेड़" में होगा' शब्दों के स्थान पर 'जिसका प्रधान कार्यालय औरंगाबाद में होगा' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/4/2012-आरआरबी]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना 20 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1769(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2014

S.O. 1856E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O. 1769(E), dated the 20th July, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th July, 2009.

In the said notification, after the opening paragraphs, in para 1, for the words ‘with its head office at “Nanded” the words ‘with its head office at Aurangabad’ shall be substituted.

[F. No. 1/4/2012-RRB]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 1769(E), dated the 20th July, 2009.